उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० U. P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम) (U.P. Govt. Undertaking)
आठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, 8th Floor Shakti Bhawan Extn,
अशोक मार्ग लखनऊ -226001 Ashok Marg, Lucknow-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांकः– /उ०नि०लि०/निदे० (वित्त) दिनांकः 20/7/2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि परियोजनाओं द्वारा ओवरहालिंग से बहुत पहले, कभी–कभी 01 वर्ष पूर्व सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश निर्गत कर दिये जाते है। तदोपरान्त परियोजनाओं द्वारा उसके विरूद्ध धनराशि अवमुक्त करने हेतु मुख्यालय को मांगपत्र प्रेषित कर दिया जाता है एवं सामग्री क्रय कर ली जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप निगम को स्टॉक इन्वेन्टरी रखने एवं ब्याज के रूप में अपरिहार्य व्ययों को वहन करना पड़ता है।

परियोजनाओं के लिए निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत, ओवरहालिंग हेतु सामग्री के क्रयादेश निर्गत करने एवं आपूर्तित सामग्री/कृत कार्य के विरूद्ध भुगतान की व्यवस्था कारगर बनाने के लिए निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है :–

(i) क्रयादेश निर्गत करने में समय–सीमा का ध्यान रखा जाएं। आदेशित सामग्री, आपूर्ति में लगने वाली समय–सीमा (Lead Time/Delivery Time) में अधिकतम 06 माह आयातित सामग्री के लिए एवं अधिकतम 03 माह स्वदेशी सामग्री के लिए अतिरिक्त समय को जोड़ते हुए क्रयादेश निर्गत किये जा सकते है। ओवरहॉलिंग तिथि से अधिकतम 04 माह पूर्व ही ओवरहॉलिंग हेतु सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की जाय।

(ii) परियोजनाओं से धनराशि की मांग सामग्री/सेवा की प्राप्ति के पश्चात भुगतान देय होने पर किया जाएं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि सामग्री/सेवा की प्राप्ति के पश्चात् 01 माह के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा। यद्यपि मूल निर्माता (OEM) आपूर्तिकर्ता से सामग्री प्राप्त करने के लिये परियोजना द्वारा आपूर्ति तिथि से 15 दिन पूर्व धनराशि की मांग की जा सकती है यदि मूल निर्माता सामग्री आपूर्ति के समय ही भुगतान की मांग करता है।

(iii) आपूर्तित सामग्री के विरूद्ध माह में दो बार मांग प्रेषित की जाये यथा प्रथम मांग माह की दिनांक 1 से 15 तक की मांग माह के 20 तारीख तक एवं दिनांक 16 से अन्तिम तिथि तक की मांग अगले माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत की जाय।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः–107/ उ०नि०लि०/निदे० (वित्त) दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के स्टॉफ अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झांसी)/पनकी (कानपुर)/हरदुआगंज (अलीगढ़)।
4. उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित्त लेखा एवं बजट संगठन, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झांसी)/पनकी (कानपुर)/हरदुआगंज (अलीगढ़)।

2020-07-20